न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/18/2018 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 24.07.2018

उनवान

1. भैरूलाल पिता मांगीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मुन्नीदेवी पत्नी भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगु पुत्र भागीरथ जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कन्हैयालाल पुत्र भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गणपतलाल पुत्र भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. देउ पत्नी रामाजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नरेश पुत्र भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. नोजी पत्नी भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मदनलाल पुत्र भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. रमनलाल पुत्र भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. लेहरू दत्तक पुत्र रामा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. लेहरू पुत्र छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. शंकर पुत्र छोगा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रण्डियारडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जाट   —प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री हरीश तुल्छिया   —अप्रार्थी सं0 2 से 11
शेष एकतरफा

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) :—

निर्णय दिनांक: 05.08.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:10 IST
Reason: Self Attested

—:निर्णय:—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात गांव ताराखेडी प०ह0 दामाखेडा तहसील कपासन जिला चितौडगढ के हल्के [illegible]नी मे स्थित हैं। जिसके हाल आराजी स0 130 रकबा 0.18 है0, आराजी स0 136 रकबा 0.80 है0, आराजी

स0 137 रकबा 3.40 है0, आराजी स0 138 रकबा 0.24 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.62 है0 स्थित है इस आराजी मे जाने हेतु रास्ता है जिसके आ0स0 664 है उक्त रास्ते से होते हुए ताराखेडी जाने वाले रास्ते से होकर अप्रार्थी सं0 1 मांगु पिता भागीरथ जाट की आराजी संख्या 756 मे होते हुए हम प्रार्थीगण की आराजीयात मे पहुचते है लेकिन आ0सं0 756 अप्रार्थी स० 1 के नाम से खातेदारी मे दर्ज है लेकिन मौके पर कई वर्षो से कदमिना रास्ता चालु है इस रास्ते को प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहते है तथा इसी प्रकारं मुझ प्रार्थी स0 1 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम रण्डियारडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी मे स्थित है। जिसके हाल आराजी न0 524 रकबा 1.01 है० स्थित है इस आराजी में जाने आने हेतु रास्ता है जिसके आ0स0 664 है उक्त रास्ते से होते हुए पश्चिम दिशा वाले डॉट –डॉट निशान वाले रास्ते से होते हुए नाले को पार करने के बाद नाले के पश्चिम दिशा मे आ0स0 523 जो अप्रार्थी सं. 2 से लगायत 11 तक के खातेदारी में होते हुए मुझ प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की आराजी स0 524 मे पहुंचते है। लेकिन आ0स0 756 व 523 अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 के खातेदारी मे दर्ज है लेकिन मौके पर कई वर्षो से कदमिना रास्ता चालु है इस रास्ते को प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहते है। जिसके लिये नियमानुसार राजस्व शुल्क राजकीय दर अनुसार जमा कराने को तैयार है तथा इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कई वर्षो से करते आ रहे है। यह आराजीयात ग्राम ताराखेडी की आ०स० 756 एव ग्राम रण्डियारडी की आ0स0 523 अप्रार्थी स0 1 से लगायत 11 तक की खातेदारी मे दर्ज है लेकिन मोके पर कदिमाना व बैलगाडी लाने ले जाने का रास्ता मौजुद है। इस रास्ते को प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहते है जिससे भविष्य में कोई विवाद न हो। रास्ते को दर्ज कराने के लिये राजस्व शुल्क राजकीय दर अनुसार जमा कराने के लिये तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण की आराजी मे जाने के लिये सबसे लघुतम रास्ता–4 यही है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगणो को उक्त रास्ते के लिये डी०एल०सी०दर या श्रीमान के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण ने दिनाक 01.07.2018 को अप्रार्थीगण की आ०स० 756 मे से होकर ग्राम ताराखेडी की आ0स0 130, 136, 137, 138 मे जाने एवं ग्राम रण्डियारडी की अप्रार्थीगण की आ0स0 523 मे से होकर ग्राम रण्डियारडी की आराजी स0 524 मे जाने के लिये वर्तमान रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने के लिये अप्रार्थीगण से अनुरोध किया व क्षतिपूर्ति राशि लेने हेतु निवेदन किया लेकिन लेने से मना कर दिया जिससे प्रार्थनापत्र कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने हेतु खाली भरी बैलगाड़ी लाने ले जाने के लिए रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जाकर अप्रार्थीगण की आ0स0 756 मे से होकर ग्राम ताराखेडी की आ0स0 130, 136, 137, 138 मे जाने एवं ग्राम रण्डियारडी की अप्रार्थीगण की आ0स0 523 मे से होकर ग्राम रण्डियारडी की आराजी सं0 524 मे जाने के लिये वर्तमान रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की ओर से अधिवक्ता [illegible] तुल्छिया का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:10 IST
Reason: SelfAttested

– यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम स0 1 अस्वीकार है तथा जवाब यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ग्राम ताराखेडी के हल्के बैरूनी मे हाल आ0स0 130–136–137–138 स्थित होने का ज्ञान नही है। लेकिन प्रार्थीगण की आराजी ग्राम ताराखेडी के पश्चिम तरफ

स्थित है जिस पर प्रार्थीगण ग्राम ताराखेडी से सेरनुमा रास्ता अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर जा रहा है तथा इन आराजीयात के दक्षिण मे रास्ते की जगह 12 फिट चोडी लोहे की फाटक प्रार्थीगण ने लगा रखी है जिसमे से होकर अपनी उक्त आराजी पर आते जाते है। प्रार्थीगण ने गुसाई जाति के व्यक्ति से खरीद की उस पर गाडी बेल, टेक्टर लाते ले जाते है फिर ग्राम ताराखेडी से आम रास्ते से होकर अपने घर ग्राम रण्डियारडी पर आते है प्रार्थीगण का अप्रार्थी मांगु जाट की आ०स० 756 पर होकर कोई रास्ता नही है अप्रार्थीगण किसी रास्ते की भूमि को अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी नही है जब प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने के लिये रेकार्डेड आम रास्ता है तो प्रार्थीगण को यह दावा लाने का अधिकार नही है। प्रार्थी स0 1 की खातेदारी की आ0स0 524 मौजा रण्डियारडी मे स्थित होना स्वीकार है प्राथी स01 भैरूलाल जाट की उक्त आ0स0 524 मे पहुचने का रास्ता खसरा न0 664 से होकर नही है तथा हम अप्रार्थीगण न0 2 से 11 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आ0स0 523 मे होकर नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी न0 524 पर जाने आने के लिये ग्राम रण्डियारडी से कपासन जाने वाले आम रास्ता डामर रोड दक्षिण से उत्तर जाता है। उसमे से होकर फिर रण्डियारडी की रेल्वे की क्रोस फाटक जहा पर अभी अण्डरब्रिजका रास्ता बन गया है इस अण्डर रास्ते के उत्तर तरफ से रेल्वे फाटक के दक्षिण तरफ पश्चिम दिशा में मुडकर पूर्व से पश्चिम जो गाडी गडार व टेक्टर का आम रास्ता है उसमे होकर अपनी आराजी 524 मे उत्तरी मेर से अपनी आराजी न० 524 मे आते जाते रहे है क्योकि यह आ0न0 524 रेल्वे लाइन के दक्षिण तरफ इस रास्ते से लगी हुई दक्षिण तरफ स्थित है प्रार्थीगण ने यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम स0 1 व 2 अस्वीकार है व प्रार्थीगण की मौजा ताराखेडी की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की कॉलम स0 1 मे वर्णित है उस पर जाने के लिये कदिमाना आम रास्ता स्थित है जिसका उपयोग प्रार्थीगण करते है तथा इसी प्रकार मौजा रण्डियारडी की आराजी न0 524 पर भी जाने के लिये सार्वजनिक रास्ता डम्बर रोड का स्थित है इसलिये प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र लाने की कोई आवश्यकता नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम स0 3 अस्वीकार है प्रार्थीगण का रास्ता मौके पर उनके बाप दादाओ के वक्त से आने जाने का गाडी गडार व ट्रेक्टर का मौजुद है जिसका वर्णन अप्रार्थीगण ने उपर किया है इसलिए प्राथीगण को यह प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण ने यह झुठा प्रार्थना पत्र हमे परेशान व हमे नुकसान पहुचाने के लिये किया है उसे खारिज किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम स० 4 अस्वीकार है कोई वाद कारण पैदा नही होता है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम स० 5 अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की कॉलम स0 6 अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की कॉलम स0 7 अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा ताईद मे झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है हम अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र की ताईद मे शपथ पत्र प्रस्तुत करते है।

प्रार्थीगण की प्रार्थना अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे व हम अप्रार्थीगण को हर्जा खर्चा दिलाया जाने की कृपा करावे।

दिनांक 06.11.2019 को कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त। जिसपर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति प्रस्तुत की। जिसे स्वीकार किया जाकर उभय[illegible] उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट बाबत् तहसीलदार कपासन को कमिश्[illegible] नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 23.09.2021 से पुनः प्राप्त हुई। जिसे 14.06.2022 [illegible] रेकार्ड पर लिया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट पर पुनः आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जिसका जवाब वकीलवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी जाकर दिनांक 13.07.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 खारिज किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध 05.07.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की मौजा रण्डियारडी मे आ0स0 524 पर आने जाने हेतु हम अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आ0स0 523 पर होकर प्रार्थीगण का कोई रास्ता नही है बल्कि प्रार्थीगण का उनकी खातेदारी की आ0स0 524 पर आने जाने का सदीप से रास्ता ग्राम रण्डियारडी से उत्तर दिशा में कस्बा कपासन की ओर पक्की डम्बर रोड जा रही है यह पक्की रोड रेल्वे लाईन के अण्डर निचे से निकल करके फिर आगे कपासन कस्बे मे चला जाता है प्रार्थी इस आम रोड के परिचम तरफ कच्चा गडार का रास्ता जा रहा है उससे उत्तर दिशा मे आगे बढते हुये पचिम तरफ मुडकर मांगु बलाई की आ0स0 471 व 425 व 476 की उत्तरी पाली पर होकर पश्चिम तरफ आगे बढते हुये प्रार्थी भैरूलाल जाट की आ0स0 524 मे पूर्वी पाली में प्रवेश करता है यह रास्ता 20 फिट उतर से दक्षिण चोडा है तथा गाडी गडार का है इस रास्ते का प्रयोग अपने पिता मांगु जाट के वक्त से करता आ रहा है जिसको 100 साल हो गये है यह रास्ता कदिमानी रास्ता है आज भी प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग कर रहा है।

यह कि प्रार्थीगण ने सर्वे कमीश्नर साहब को भी उक्त रास्ता सर्वे के वक्त देखने को कहा तो भी इन्होने इस रास्ते को सर्वे कमीश्नर रिर्पोट मे नही लिया जो कानुनन गलत है तथा धारा 251 ए रा0टि0एक्ट0 के तहत जो प्रकरण अदालत मे पेश होते है माननीय न्यायालय को इसकी पुष्टि मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने हेतु मौखिक साक्ष्य से रास्ता होने की पुष्टि करनी पड़ती है तथा सर्वे कमिश्नर को भी शपथ लेकर साक्ष्य मे प्रार्थी को पेश करना चाहिये इस प्रकरण मे धारा 251 ए मे लिखे प्रोसिजर की कोई पालना प्रार्थीगण ने नही की है केवल सर्वे कमीश्नर की रिर्पोट को ही निर्णय का आधार नही बनाया जा सकता है प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र मे लिखे तथ्यो को साबित नही कर सके व सर्वे कमिश्नर रिर्पोट प्रदर्श की गई है इसलिए यह प्रकरण कानुनन प्रार्थीगण ने साबित नही किया है इसलिए खारिज योग्य है अप्रार्थीगण को भी शहादत पेश करने का मौका भी नही दिया गया है इसलिए विधि विपरित है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का यह धारा 251 ए रा०टे0 एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे व अप्रार्थीगण को हर्जा खर्चा प्रदत कराया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा ताराखेडी की आ0न0 130, 136, 137, 138 एवं मौजा रण्डियारडी की आ0नं0 524 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:10 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है। कृषि भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   सूचना पत्र के बाद मौके पर पहुंच कर सहमति के प्रयास में प्रार्थी एवं अप्रार्थी में कोई सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   प्रस्तावित रास्ता आ0नं0 756 में से लम्बाई 94 मी0 × चौडाई 4 मी0 = 376 वर्ग मीटर है।

   प्रस्तावित रास्ता आ0नं0 523 में से लम्बाई 45 मी0 × चौडाई 4 मी0 = 180 वर्ग मीटर है। जिसकी डीएलसी दर 531563 × 0.0556 = 29555 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 59110/– रूपये बनते है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 130, 136, 137, 138 कुल किता 4 कुल रकबा 4.62 है0 स्थित है पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 756 साथ ही मौजा रण्डियारडी पटवार हल्का दामाखेडा की आराजी संख्या 524 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 से 11 की आराजी संख्या 523 से रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा ताराखेडी की आ0 सं0 130, 136, 137, 138 तथा मौजा रण्डियारडी की आ0 नं0 524 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप [illegible] नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध [illegible] द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:10 IST
Reason: SelfAttested

अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 130, 136, 137, 138 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की मौजा रण्डियारडी आ.न. 756 है। जिसका रकबा 94 × 4 = 376 वर्ग मीटर है व प्रार्थी संख्या 1 की मौजा रण्डियारडी की आराजी न0 524 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 2 से 11 की आ.न. 523 है। जिसका रकबा 45 × 4 = 180 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 23.10.2020 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 556 वर्गमीटर की डीएलसी दर 531563 × 0.0556 = 29955 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 59110/– रूपये अक्षरे उनसठ हजार एक सौ दस रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:26:10 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन